उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

पत्रांक :– अ/एक/209/2016–17/I 178 जि०यो०, दिनांक :– 23.4.18

(तृतीय अल्पकालीन निविदा)

लातेहार जिला में पर्यटन मद से कार्यान्वित निम्नलिखित योजना के कार्यान्वयन हेतु सुयोग्य कम्पनी/निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/संवेदकों से दिनांक 8.5.18 को समय 2:00 बजे अपराह्न तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. **कार्य का नाम :–**

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	प्रखंड– बरवाडीह में यूथ हॉस्टल से बेतला नेशनल पार्क (चेकनाका) तक एल०ई०डी० लाईट अधिष्ठापन।	11,07,414.00	22,148.00	कार्यादेश निर्गत तिथि के एक माह के अन्दर।

2. योजना की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.latehar.nic.in पर देखा जा सकता है।
3. सभी ईच्छूक सुयोग्य कम्पनी/निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/संवेदकों को अलग–अलग मुरहबंद लिफाफे में तकनीकि एवं वित्तीय प्रस्ताव समर्पित करना होगा :–

(क) तकनीकि प्रस्ताव :– (i) कम्पनी/निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/संवेदक का झारखण्ड राज्य विद्युत विभाग/बोर्ड से निबंधन का प्रमाण पत्र। (ii) कम्पनी/निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/संवेदक को विद्युत विभाग/बोर्ड से निर्गत लाईसेंस की प्रति। (iii) पिछले तीन साल का ITR (iv) पिछले तीन साल का Audit प्रतिवेदन। (v) वार्षिक न्यूनतम 20.00 लाख रू० (बीस लाख) Turnover सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (vi) अग्रधन की राशि 22,148.00 रू० का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से संलग्न करना होगा। (vii) कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र।

(ख) वित्तीय प्रस्ताव :– (i) प्राक्कलित राशि के आलोक में अपना दर देना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें GST की राशि अलग से रहेगी।

(ग) उपरोक्त दोनों ही शीलबंद लिफाफा एक तीसरे लिफाफा में शीलबंद करेंगे जिसके उपर अपना पता एवं मोबाईल नं० अंकित करेंगे।

4. **समान्य शर्ते** :–

(i) एल०ई०डी० लाईट अधिष्ठापन में आपूर्ति की जाने वाली समाग्रियाँ उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।

(ii) एल०ई०डी० लाईट अधिष्ठापन हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्ति के एक साल तक रख–रखाव करना होगा।

(iii) सफल निविदादाता को कार्य निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योजना पूर्ण करते हुए फोटोग्राफ के साथ दो प्रतियों में विपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना की गुणवत्ता की जाँचोपरान्त ही राशि की भुगतान की जायेगी।

(v) जिला निविदा/क्रय समिति को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार, स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार रहेगा। जिला क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

(vi) इच्छुक निविदादाता दिनांक 8.5.18 के अपराह्न 2:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, लातेहार में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहरबंद लिफाफे जमा कर सकते हैं तथा उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष चयन हेतु विस्तृत चर्चा की जायेगी।

9/04/18

उपायुक्त, लातेहार।

NIC

ज्ञापांक :– अ/एक/209/2016–17/I 178 /जि०यो०, दिनांक :– 23.4.18

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अल्पकालीन निविदा के साथ प्राक्कलन को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त अल्पकालीन निविदा प्रस्ताव सूचना को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/04/18

उपायुक्त, लातेहार।